"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2017 —— अग्रहायण 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 28, 1939)

क्रमांक-11442/वि. स./विधान/2017. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017), जो मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम , 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, उप-धारा (1) में, -

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) खण्ड (ञ) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) खण्ड (त) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(एक) खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक में, पैरा (ख) में, विराम चिन्ह ":", के स्थान पर, विराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ग) अनुसूची के भाग सात तथा आठ में अधिसूचित कृषि उपज, जो अधिसूचित मंडी प्रांगण/विशेष वस्तु मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण/किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण/टर्मिनल मार्केट यार्ड के बाहर क्रय की गई हो अथवा बेची गई हो :"

(दो) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी-क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी, जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के अधीन दी गई हो. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (ग) के संबंध में क्रय की गई अथवा बेची गई कृषि उपज के लिए भी छूट प्रत्याहृत कर सकेगी और निर्देश जारी कर सकेगी तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना बंधनकारी होगा."

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 12 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उप-धारा (8) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् तथा द्वितीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि यदि संविधान की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की मंडी समितियों का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का नहीं है, तो उपाध्यक्ष, अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किया जायेगा :"

6. मूल अधिनियम की धारा 19 में,- धारा 19 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, परन्तुक में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) में, चतुर्थ परन्तुक में,-

(क) शब्द "प्रसंस्करण के लिए " के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण के लिए या विनिर्माण के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये;

(तीन) उप-धारा (4) में,-

(क) शब्द "प्रसंस्कृत की गई है " के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत, विनिर्मित की गई है" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्कृत उपज" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत या विनिर्मित उपज" प्रतिस्थापित किया जाये;

(चार) उप-धारा (5) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये;और

(पांच) उप-धारा (6) में, परन्तुक में,-

(क) शब्द "प्रसंस्कृत" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्कृत या विनिर्मित" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये.

7. मूल अधिनियम की धारा 19-ख में, उप-धारा (1) में, शब्द "प्रसंस्करण" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 19-ख का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (1) में, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 21 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द "प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग)" के स्थान पर, शब्द "प्रसंस्करण या विनिर्माण या दबाने (प्रेसिंग)" प्रतिस्थापित किया जाये. धारा 31 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 37-क में, उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 37-क का संशोधन.

"(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा. प्राधिकृत अधिकारी, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि उप-विधियों में विहित की जाये, पंजी करेगा.

(3) यदि करार के उपबंध के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार, विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए कलेक्टर/अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

कलेक्टर/अपर कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का समाधान करेगा.

(4) उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर/अपर कलेक्टर के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार, विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज, मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को बेची जायेगी तथा ऐसी कृषि उपज पर मंडी शुल्क देय नहीं होगा."

धारा 39 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 39 में, खण्ड (आठ) में, उप-खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(झ) मंडी समिति निधि में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का दो प्रतिशत, मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास या निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित किया जायेगा."

धारा 44 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 44 में,-

(एक) खण्ड (दस-डड) में, अंक एवं चिन्ह "10%" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "20%" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (बारह) में, शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "बीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यत :, राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि बोर्ड, विभिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों के लिए अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम बीस प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु समर्थ होना चाहिये और छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग को बीस प्रतिशत का अनुदान देना चाहिये तथा मण्डी समिति निधि से मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का दो प्रतिशत, मंडी क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास एवं निर्माण कार्य हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित करने के क्रम में,

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

बृजमोहन अग्रवाल
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 2, 6, 11, 12, 19, 19-ख, 21, 31, 37-क, 39 तथा 44 के संबंध में सुसंगत उद्धरण

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)

(ख) "कृषक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति एवं उसका परिवार जिसकी जीविका का साधन पूर्णत: कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिए -

(i) अपने स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ii) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा; या

(iii) अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि ऊपर उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रूप में देय हो किन्तु फसल के अंश के रूप में देय न हो, रखे गये नौकरों द्वारा;

खेती करता हो, किन्तु उसके अंतर्गत कृषि उपज का कोई व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता (प्रोसेसर), दलाल, तुलैया या हम्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता, दलाल, तुलैया या हम्माल कृषि उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;

खण्ड (ञ)

(ञ) "मंडी कृत्यकारी" के अंतर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, दबाने वाला (प्रेसर), प्रसंस्करणकर्ता, स्टॉकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, भाण्डागारिक, हम्माल, सर्वेक्षक तथा ऐसी अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मंडी कृत्यकारी के रूप में घोषित किया जाय;

खण्ड (त)

(त) "व्यापारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यापारी जो अपने कारबार के प्रशामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किन्तु उसके अंतर्गत इस उपधारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कृषक नहीं है.

धारा 6 के खण्ड (ख) के प्रथम परन्तुक में, पैरा (ख),

(ख) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय -

(एक) मंडी क्षेत्र में के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोग में नहीं लाएगा; या

(दो) मंडी क्षेत्र में मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा :

परन्तु इसमें की कोई भी बात -

(क) ऐसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय को -

(एक) जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसे अपने स्वयं घरेलू उपभोग के लिए खरीदता हो, एक बार में चार क्विंटल से अनधिक परिणाम में किया जाता हो;

(दो) जो सिर पर रखकर लाई गई हो;

(तीन) जिसका क्रय सा विक्रय किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता हो;

(चार) विलोपित.

(पांच) जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य ऐसे अभिकरण या संस्था से किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो.

(ख) समर्थन मूल्य में कृषि उपज क्रय करने के लिए राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेन्सी को, विहित स्थानों से अथवा किसी सहकारी सोसाइटी से, कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, ऐसी कृषि उपज के उसे किये गये अन्तरण, को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, ऐसे मंडी क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, उस छूट को प्रत्याहृत कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गई हो.

धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)

(ग) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी कि विहित की जाएं, जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों के रूप में या प्रसंस्करण कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रूप में मण्डी समिति के लगातार दो वर्षों की कालावधि से पंजीयन धारण किए हो;

परन्तु किसी ऐसी मण्डी समिति के मामले में, जो धारा 10 के अधीन प्रथम बार स्थापित की गई हो ऐसी मण्डी समिति से पंजीयन धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी :

परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, ऐसे पद को धारण करने के लिए निरर्हित हो जायेगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो;

परन्तु यह भी कि व्यापारियों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसकी पूर्व में एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव, 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या अधिक संतान का जन्म होता है, तो वह निरर्हित नहीं होगा.

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मण्डी समिति का मतदाता नहीं होगा;

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति तभी मतदाता होगा, जबकि -

(एक) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;

(दो) यह मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नही हो.

स्पष्टीकरण - अभिव्यक्ति "व्यतिक्रमी" में ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसने छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा वसूल किए जाने वाले निराश्रित शुल्क के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो.

धारा 12 की उपधारा (8)

(8) मण्डी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाए गये मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन में मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्हीं में से विहित रीति में निर्वाचित किया जाएगा ;

परन्तु यदि मण्डी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा;

परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो.

धारा 19 की उपधारा (1) का परन्तुक

(1) प्रत्येक मंडी समिति -

(एक) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर; और

(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण (तथा विनिर्माण) में उपयोग के लिए लाई गई हो, ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम पचास पैसे की दर के और अधिकतम दो रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुए, नियत की जाए, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी :

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण हेतु लायी गयी हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी.

उपधारा (2) का चतुर्थ परन्तुक -

(2) मण्डी फीस अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी :

परन्तु जहां किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना न जा सके, वहां समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाया हो :

परन्तु यह और कि मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मण्डी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहीत की जायेगी तथा संदत की जायेगी.

(विलोपित)

परन्तु यह भी कि, वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए या प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि उपज पर मण्डी फीस, यथास्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा, उस दशा में मण्डी समिति के कार्यालय में (चौदह) दिन के भीतर जमा की जाएगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किया है.

उपधारा (4)

यदि यह पाया जाए कि कोई अधिसूचित कृषि उपज ऐसी उपज पर देय मण्डी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, पुन: बेच दी गई है तो मण्डी फीस, यथास्थिति, प्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पांच गुने के हिसाब से उद्गृहीत तथा वसूल की जायेगी.

उपधारा (5)

मण्डी कृत्यकारी, जिन्हें कि मण्डी समिति, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करें विक्रय तथा क्रय (या प्रसंस्करण) से संबंधित लेखे ऐसे प्रारूपों में रखेंगे तथा मण्डी समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेंगे जैसे कि विहित की जाये.

उपधारा (6) के परन्तुक में,

(6) कोई भी अधिसूचित कृषि उपज या उससे प्रसंस्कृत किया गया कोई उत्पादन ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, जारी किए गये अनुज्ञा पत्र के अनुसार ही (मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से बाहर हटाया जाएगा) अन्यथा नहीं :

परन्तु प्रसंस्कृत माल को हटाने के लिए पंजीकृत प्रसंस्करणकर्ता या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, मण्डी समिति के द्वारा विशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता के लिए नियत सीमा के भीतर अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेगा.

उपधारा 19-ख की उपधारा (1)

कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मण्डी फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मण्डी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण के लिए मण्डी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मण्डी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा.

धारा 21 की उपधारा (1)

प्रत्येक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या आढ़तियां, जो अधिसूचित कृषि उपज का कारबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गये क्रय-विक्रय का एक विवरण सचिव को विहित रीति में प्रस्तुत करेगा.

धारा 31-

मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन - कोई भी व्यक्ति, किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में मंडी क्षेत्र में आढ़तिया, व्यापारी (दलाल) तुलैया या हम्माल, सर्वेक्षक, भाण्डगारिक प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग) के कारखानों के स्वामी या अधिभोगी या किसान उत्पादक संगठन या निजी मंडी प्रागंण के संचालक या निजी उपमंडी प्रागंण के संचालक या निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण या टर्मिनल मार्केट कॉम्पलेक्स के संचालक) या ऐसे अन्य मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नहीं.

धारा 37-क की उपधारा (2)

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिये मंडी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा मंडी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए रजिस्टर करेगी.

धारा 37-क की उपधारा (3)

(3) यदि करार के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है, तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मंडी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, मंडी समिति का अध्यक्ष सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा.

धारा 37-क की उपधारा (4)

(4) उपधारा (3) के अधीन मंडी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख ये तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

धारा 37-क की उपधारा (5)

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज मंडी प्रांगण के बाहर क्रेता को विक्रित की जाएगी जैसे कि उपविधियों द्वारा विहित किया जाए. ऐसा कृषि उपज के क्रेता द्वारा मंडी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाए.

धारा 39 के खण्ड (आठ) के उपखण्ड (ज) -

उपखण्ड (ज) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर व्ययों का भुगतान;

धारा 44 के खण्ड (दस-ङङ) एवं (बारह) -

(दस-ङङ) छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्र. 23 सन् 2004) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ गौ-सेवा आयोग को, गौ-शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए निधि से (10%) के अनुदान प्रदाय हेतु.

(बारह) राज्य सरकार की पूर्वानुमति से या निर्देश पर बोर्ड भिन्न - भिन्न कृषक कल्याणोन्मुखी गतिविधियों (कृषक हित) के लिए अपनी सकल वार्षिक आय का अधिकतम (पन्द्रह प्रतिशत) तक राशि उपयोग कर सकेगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.